संख्या 14020/1/90-स्था0(छुट्टी)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक: 6 अप्रैल, 1993

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को अधिवर्षिता पर अर्द्ध-वेतन का नकदीकरण-विवाचन बोर्ड के अवार्ड पर विचार करना तथा उसे कार्यान्वित करना ।

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विवाचन बोर्ड(जे0सी0एम0) द्वारा सी0आ0 संदर्भ सं0 1/1986 में दिए गए अवार्ड के अनुसरण में राष्ट्रपति यह निर्णय करते हैं कि 14 जुलाई, 1982 से अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों के खाते में जमा समस्त अर्द्ध-वेतन छुट्टियों(अ0वे0छु0) के नकदीकरण की अनुमति दी जाएगी, लेकिन बशर्ते कि केन्द्रीय सिविल सेवा(छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39 के उप-नियम(5) में व्यवस्था किए अनुसार, पेंशन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति प्रसुविधाओं के बराबर पेंशन, नकदी भुगतान की जाने वाली राशि में से काटी जाएगी ।

2. नकदीकरण निम्न शर्तों के अध्याधीन किया जाएगा:-

(i) पिछले मामलों के संबंध में यह प्रसुविधा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा पेंशनभोगियों से इस आशय के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्वीकार्य होगी ।

(ii) भविष्य में सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में अर्द्ध-वेतन छुट्टी के नकदीकरण की राशि की परिगणना तथा भुगतान अर्जित छुट्टी के नकदीकरण के साथ-साथ किया जाएगा ।

(iii) खाते में जमा अर्द्ध-वेतन छुट्टी के संबंध में समकक्ष नकद राशि की परिगणना केंद्रीय सिविल सेवा(छुट्टी) नियमावली, 1972 के नियम 39-ग के नीचे दिए गए भारत सरकार के निर्णय सं0 7 के पैरा 2 में दिए गए अनुसार यथोचित परिवर्तनों सहित की जाएगी, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

अर्द्ध-वेतन छुट्टी संघटक के स्थान पर नकद भुगतान	= अर्द्ध-वेतन छुट्टी का वेतन जमा महंगाई भत्ता, यदि स्वीकार्य है, उसमें से घटा पेंशन, ग्रेच्युटी का पेंशन समतुल्य तथा यदि अर्द्ध-वेतन छुट्टी पर महंगाई भत्ता स्वीकार्य है, तो पेंशन पर राहत ।	अधिवर्षिता पर सेवा-निवृत्ति की तारीख को देय अर्द्ध-वेतन छुट्टी के दिन जो नियमों के अंतर्गत निर्धारित सीमा की शर्तों के अधीन हो।

(iv) इस प्रकार संगणित राशि, एक मुश्त एक निपटारे के रूप में दी जायेगी ।

3. ये आदेश 14.7.82 से लागू किए जाएंगे ।

4. जहां तक इसके भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों पर लागू होने का संबंध है ये आदेश भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की सहमति से जारी किए जाते हैं ।

(बी0 गंगर)
अवर सचिव, भारत सरकार

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को
(मानक सूची के अनुसार)

संख्या 14020/1/90-स्था0(ख) नई दिल्ली, दिनांक: 6 अप्रैल, 1993

प्रति निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय ।
2. महालेखा नियंत्रक का कार्यालय, वित्त मंत्रालय ।
3. संघ लोक सेवा आयोग के सचिव/भारत का ~~उच्चतम न्यायालय~~/निर्वाचन आयोग/लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केंद्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग ।
4. सभी राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रदेश ।
5. सभी राज्यों के राज्यपाल/संघ शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल ।
6. सचिव, जे0सी0एम0की राष्ट्रीय परिषद्(कर्मचारी पक्ष), 13-सो फिरोजशाह रोड़, नई दिल्ली ।
7. जे0सी0एम0की राष्ट्रीय परिषद् की कर्मचारी पक्ष के सभी सदस्य/विभागीय परिषद् ।
8. कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग/प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग/पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सभी अधिकारी/विभाग ।
9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग (ई0-11(ख) शाखा)
10. राजभाषा विभाग(न्यायिक विभाग) भगवान दास रोड़, नई दिल्ली ।
11. रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ।
12. 500 अतिरिक्त प्रतियां ।

(बी0 गंगर)
अवर सचिव, भारत सरकार